

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम के कार्रवाई की तारीख तक</p> <p>मंतरलाल टाक बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं० 285 / 2023 ()</p>	<p>या व तारीख अवकाश जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>05.02.24</p>	<p>अपीलार्थी मंतरलाल टाक पुत्र जनकध खटीक पता पूगरी पोस्ट हिगोनिया जिला जोधपुर राज में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.09.23 में उसके द्वारा (1) दिनांक 27.06.23 को जिला कलेक्टर जोधपुर को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली, दिनांकवार उपलब्ध कराने से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलेक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रसपोपक्ष (अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रसपोपक्ष (अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1228 दिनांक 03.11.2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी, आवक लिपिक, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मंतरलाल आवेदन पत्र में वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2023 का कार्यालय की आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर कार्यालय में आना नहीं पाया गया है जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1166 दिनांक 26.10.2023 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2023 कार्यालय में आना नहीं पाया जाने की सूचना से प्रार्थी को अवगत करवाया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनाार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

